



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013—माघ 24, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का निश्चित आरक्षित मूल्य पर¹
टेण्डर द्वारा निष्पादन तथा अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के
निष्पादन सम्बन्धी व्यवस्था—वर्ष 2013-14

ग्वालियर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. 6 (स) पॉपी-लाय.-2013-14-31.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिये, राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2013-14 अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए, मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मंदसौर, नीमच, एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों का पृथक्-पृथक् निराकरण, इस सूचना-पत्र के परिशिष्ट क्रमांक-एक में दर्शाई गई तिथियों एवं स्थानों पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा पृथक्-पृथक् लायसेंसवार, टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा। जो व्यक्ति टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेना चाहें, वे परिशिष्ट क्रमांक-एक में दर्शाये गये अनुसार टेण्डर निष्पादन हेतु नियत स्थान/स्थल पर उपस्थित होकर, नियत तिथि एवं समय तक, नियमानुसार क्रय किये गये प्रपत्र में टेण्डर प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त से संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, निष्पादित किये जाने वाले पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, लायसेंसवार विगत तीन वर्षों में कृषकों से क्रय किये गये पॉपीस्ट्रा की मात्रा, परिवहन फीस, निर्यात फीस, इयूटी की दर आदि की जानकारी (सेल पेपर), संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही, यदि किसी कारण-वश घोषित नियत तिथि को पूरी नहीं हुई तो, यह कार्यवाही संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार, अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी।

नोट :—टेण्डर द्वारा निष्पादन से तात्पर्य केवल अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के घोषित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध केवल टेण्डर द्वारा ऑफर प्राप्त कर, लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया से है।

टेण्डर द्वारा निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बंधन

1. व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे.—टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में केवल ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर देने के लिये अयोग्य रहेंगे :—

- 1.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो.
- 1.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा / अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो.
- 1.3 वर्ष 2012-13 की अवधि का अनुज्ञापित्थारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2012-13 की सम्पूर्ण देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो.
- 1.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो, और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो.
- 1.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो.
- 1.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है.
- 1.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम, 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो.

टिप्पणी।—1. बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.2 एवं 1.3 में उल्लिखित शर्त कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी.

2. काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.5 की शर्त कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी.

2. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत करना।— प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार-पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में, टेण्डर की शर्तें और निर्बंधनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार अधिसूचित बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी अधिसूचित बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

**पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन में टेण्डर की शर्तों को,
टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार**

टेण्डरदाता का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा
आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी
आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत
किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

मैं (टेण्डरदाता का नाम)
 पिता/पति श्री
 निवासी
 धन्ये का स्थान आयु (वर्ष)

शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूं कि—

1. मेरे अधिसूचित बैंक के वर्तमान बचत/चालू खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा
पता है।
2. मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों / डायरेक्टर / डायरेक्टरों का स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक है।
3. मैंने पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तें पढ़-सुन तथा जान ली हैं
तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निबंधनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।
4. मैंने जमा की गई अर्नेस्टमनी का पूर्ण विवरण संलग्न प्रस्तुत कर दिया है।
5. मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गई अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन, प्रतिभूति,
अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता / करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता / करती हूं कि टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादन / पुनःनिवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति
की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

- टीप.—(1) पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के प्रत्येक लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपने वर्तमान बैंक
के बचत/चालू खाते का क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र में भरकर
हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।**
- (2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म / कंपनी है तो, उसके कार्यकारी भागीदार / मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को
उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।**

श्री/श्रीमती को उपरोक्त उल्लेखित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है / अनुमति दी गई है।

दिनांक हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी
जिला

3. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना।—पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)
(पिता/पति का नाम)
निवासी (पता)

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूँ कि :—

- (1) मैं स्वयं अथवा (फर्म / कम्पनी की स्थिति में फर्म/कम्पनी का नाम) की ओर से अधिकार-पत्र ग्रहीता हूँ।
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में, टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ हैं।
- (3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गई जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।
- (4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निष्पादन हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि, कुल रूपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :—

- | | |
|---|---|
| (i) नगद राशि
एम.पी.टी.सी.-6 रसीद क्रमांक | रूपये
..... दिनांक |
|
 | |
| (ii) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक कैश आर्डर | रूपये
योग .. रूपये ..
..... |
|
 | |
| (5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है। | |
|
 | |
| (6) मैं, टेण्डर में अंकित ऑफर स्वीकृत होने की दशा में, देय अग्रिम धन राशि (1/4 भाग) प्रतिभूति राशि (1/12 भाग) एवं अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूँगा। | |
|
 | |
| (7) पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य / विवरण / बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, अथवा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा करायी गयी अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन, प्रतिभूति अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। | |

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक 2013

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)
(पिता / पति का नाम) श्री
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।	
स्थान	हस्ताक्षर

दिनांक 2013

नोट:—यदि एक टेण्डरदाता किसी जिले के एक से अधिक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिये टेण्डर देता है तथा सभी के लिये एक ही नोटराइज्ड शपथ-पत्र देना चाहता है तो उसे सभी लायसेंसों का नाम तथा उनकी कुल अर्नेस्टमनी जमा करने का विवरण, नोटराइज्ड शपथ-पत्र में देना होगा। शपथ-पत्र में यह भी लिखना होगा कि मूल शपथ-पत्र, किस लायसेंस के टेण्डर के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस शपथ-पत्र की सत्यापित प्रति, टेण्डरदाता अन्य प्रत्येक लायसेंस के टेण्डर के साथ संलग्न करेगा।

4. टेण्डरदाता की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में.— टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को, उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उसके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक-एक दस्तावेज की किसी अधिसूचित बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छाया प्रति को स्वप्रमाणित कर संलग्न प्रस्तुत करना होगा:—

4.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. पासपोर्ट.
2. स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड.
3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान-पत्र (EPIC CARD).
4. ड्रायविंग लायसेंस.
5. फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका.

4.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल.
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल.
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि-फिलिंग की रसीद.
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल.
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड.
6. स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र.
7. बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका.

5. यदि कोई टेण्डरदाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है तो टेण्डर देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:—

- (i) संबंधित फर्म / कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र / निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि.

- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड / कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि.
- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची.
- (iv) संबंधित फर्म / कम्पनी की ओर से टेण्डर द्वारा निष्पादन में भाग लेने के आशय के (Resolution) के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार-पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति.

6. आरक्षित मूल्य :—वर्ष 2013-14 के लिए अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य उनकी वर्ष 2012-13 की वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा। यदि वर्ष 2012-13 में किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रेता (पी.एस.-2) के लायसेंस का निष्पादन अंशिक अवधि के लिए हुआ है, तो उस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस आनुपातिक रूप से पुनर्गणित की जायेगी अर्थात् प्राप्त लायसेंस फीस के आधार पर एक दिवस की लायसेंस फीस की गणना कर उसे 365 से गुणा कर उसकी पुनर्गणना की जायेगी। तदनुसार इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस लायसेंस का वर्ष 2013-14 का आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा।

7. अर्नेस्टमनी जमा करना।—प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए वर्ष 2013-14 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य किसी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत् पुष्टि / संतुष्टि कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरांत ही टेण्डर मान्य किया जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 09 में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा/अथवा अवशेष राशि (यदि को हो) वापिस की जावेगी।

असफल टेण्डरदाता को जमा की गई अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी। इसे वापिस प्राप्त करने के लिए, टेण्डरदाता को रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी।

8. टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया।—वर्ष 2013-14 के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर द्वारा निष्पादन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:—

8.1 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस परिशिष्ट क्रमांक-एक में घोषित तिथि एवं समय अनुसार टेण्डर द्वारा निष्पादित/निर्वर्तित किये जायेंगे।

8.2 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निराकरण हेतु, क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम एवं नीमच जिला आबकारी अधिकारी, जिला मन्दसौर के कार्यालयों से परिशिष्ट क्रमांक-एक में उल्लेखित अवधि एवं समय में क्रय किये जा सकेंगे। टेण्डर प्रपत्र का मूल्य रुपये 5000/- रहेगा।

8.3 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से कण्ठिका क्रमांक 8.2 में उल्लेखित नियत राशि के भुगतान पर किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि एम.पी.टी.सी.-6 रसीद द्वारा ली जायेगी। यही एम.पी.टी.सी.-6 रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेण्डरदाता के प्रवेश-पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

8.4 एक व्यक्ति पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु एक व्यक्ति पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के कई अथवा समस्त लायसेंसों के लिए अलग-अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा।

8.5 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा. भाग-एक में टेण्डरदाता घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी जमा करने का प्रमाण, सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज तथा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) कार्ड, बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में मूल नोटराइज्ड शपथ-पत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेख, एक लिफाफे में बंद कर रखेगा. एक अन्य लिफाफे में वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के स्थल का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के भाग-दो में प्रस्तुत करेगा. इसी लिफाफे के वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का पोस्ट डेटेड चैक भी रखेगा. टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग “एक” व “दो” के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफे को खोला न जा सके. टेण्डरदाता द्वारा सील्ड टेण्डर परिशिष्ट क्रमांक-एक में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा.

8.6 विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रत्लाम, नीमच एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला मन्दसौर के कार्यालय में परिशिष्ट क्रमांक-एक में उल्लेखित समयावधि में, विहित प्रक्रिया अनुसार जमा किये जा सकेंगे.

8.7 उपरोक्त के अतिरिक्त विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेण्डर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के कार्यालय में भी संबंधित जिले (नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम) में टेण्डर प्रपत्र खोलने की तिथि से क्रमशः दो दिन एवं एक दिन पूर्व तक जमा किये जा सकेंगे, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सील्ड) भेज दिया जायेगा.

8.8 प्रत्येक पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी. परिशिष्ट-एक में अधिसूचित स्थान, तिथि व समय पर सर्वप्रथम टेण्डरदाताओं द्वारा प्रस्तुत टेण्डर का भाग-एक खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी. टेण्डर प्रपत्र भाग-एक के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी के विधिवत् जमा पाये जाने पर, अन्य अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर टेण्डर प्रपत्र भाग-दो में प्राप्त ऑफर (फायरेंशियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा. इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार संबंधित जिला कलेक्टर मौके पर ही करवा सकेंगे. लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका-समाधान के लिए, आबकारी आयुक्त से कलेक्टर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे. इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा.

8.9 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा करा सकता है. ऐसी स्थिति में टेण्डरदाता, टेण्डर प्रपत्र का भाग-एक प्रस्तुत नहीं करेगा. पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिये, प्रस्तुत अन्य टेण्डरों का भाग-एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जावेगी.

8.10 जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने पर ही, टेण्डर के भाग-दो (फायरेंशियल बिड) को खोला जाएगा. अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग-दो खोलने से, उसका ऑफर (फायरेंशियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग-एक अनुसार, टेण्डरदाता अपात्र नहीं है तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा अन्यथा नहीं.

8.11 टेण्डर के माध्यम से प्राप्त उच्चतम ऑफर, यदि जिले के तुलनात्मक राजस्व में अधिकतम वृद्धि की दृष्टि से पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा.

8.12 टेण्डर जमा करते समय अथवा टेण्डर खोलने के दौरान टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी.

8.13 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सर्वानुसार अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा.

9. अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि/अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना :—

9.1 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर (टेण्डर राशि) का 1/4 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध टेण्डरदाता के द्वारा टेण्डर देने के पूर्व जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी। शेष अग्रिम धन की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगी।

9.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के सफल टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेण्डरदाता को, अग्रिम धन की राशि का शेष भाग जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे। तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

9.3 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर देय एवं भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

9.4 अगर सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।

9.5 वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर, रुपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

9.6 सफल टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने, 1/4 अग्रिम धनराशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलंब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलंब से प्राप्त होता है तो उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तराधित्व पर लायसेंस का टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादन किया जायेगा। इस पुनः निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।

9.7 सफल टेण्डरदाता को उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013-14 हेतु देय लायसेंस फीस की मासिक आंशिका के किसी अधिसूचित बैंक के अपने बचत/चालू बैंक खाते के माह मई 2013 से दिसम्बर 2013 तक की पहली तारीख को देय आठ (08) पोस्टडेटेड चैक्स भी लाइसेंस जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी कर प्रस्तुत करना होंगे। इन पोस्टडेटेड चैक्स का उपयोग लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस समय पर जमा न करने की स्थिति में देय/ अवशेष लायसेंस फीस की वसूली के विरुद्ध किया जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस चुका दी जाती है तो, उपरोक्त पोस्टडेटेड चैक्स को लायसेंसी को, प्राप्ति रसीद लेकर मूलतः वापस कर दिया जायेगा।

9.8 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30-6-2014 तक की होगी। इससे अल्प अवधि अथवा आंशिक वैधता अवधि की बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।

9.9 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी को शासन को देय किसी भी प्रकार की राशि की वसूली तथा/अथवा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून 2014 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों आदि के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।

9.10 अतिरिक्त प्रतिभूति के पोस्टडेटेड चैक्स को छोड़कर, टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली अन्य कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी।

नोट— 1. सफल टेण्डरदाता का आशय ऐसे टेण्डरदाता से है, जिसका टेण्डर में अंकित ऑफर सर्वाधिक राशि का हो एवं स्वीकार किया गया हो।

2. अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा।

10. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना:—

10.1 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को 01 अप्रैल, 2013 या उसके पूर्व, माह अप्रैल 2013 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त, जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त मासिक किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस एवं आवश्यक परमिट दिए जायेंगे।

10.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को, उसकी पृथक्-पृथक् देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अवशेष राशि, माह अप्रैल 2013 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी।

10.3 यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय से लायसेंस के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, उपरोक्त शर्त 10.2 के अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है तो, कलेक्टर द्वारा उस पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस को पॉपीस्ट्रा का क्रय/विक्रय निषेधित किया जा सकेगा। संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में, ऐसे पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायसेंस निरस्त कर, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की कार्यवाही, संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसरे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंसी से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।

10.4 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए जमा 1/4 भाग अग्रिम की राशि माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2014 की देय लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।

10.5 वर्ष 2013-14 के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के पूर्व जब भी, अग्रिम धन (1/4 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय वार्षिक लायसेंस फीस तथा अन्य कोई देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही लायसेंस फीस के विरुद्ध चाहता है तो, कलेक्टर द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि आदि की वसूली के लिए रूपये एक करोड़ तक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए रूपये एक लाख तथा रूपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए रूपये दो लाख की राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत/जमा करना अनिवार्य होगी। प्रतिभूति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के पश्चात् ही सम्पूर्ण लायसेंस फीस जमा होना मान्य किया जावेगा। कलेक्टर को अगर औचित्यपूर्ण ढंग से विचार कर यह विश्वास होता है कि रूपये एक लाख अथवा रूपये दो लाख की राशि, लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के विरुद्ध अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह अपने विवेक से अधिक एवं युक्तियुक्त राशि की मांग लायसेंसी से कर, जमा प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि के समायोजन की अनुमति प्रदान करेंगे।

11. टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में न दिये गये टेण्डर स्वीकार न करना.—वर्ष 2013-14 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का टेण्डर, जिसने टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय अथवा पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन यदि हुआ हो तो, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय, टेण्डर न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगा।

12. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना।—वर्ष 2013-14 के लिए टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का निष्पादन अन्तिम होने के पश्चात् संबंधित टेण्डरदाता को समस्त वाचित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ही, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार के निष्पादन एवं अन्य सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायसेंस जारी किया जायेगा।

13. निष्पादन अवधि में पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करना।—वर्ष 2013-14 के लिए अथवा वर्ष 2013-14 के मध्य में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा। इस हेतु सूचना-पत्र पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से, कम से कम पांच दिन पूर्व जारी करना होगा। सूचना-पत्र का प्रदर्शन संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा तथा समाचार-पत्र में भी इसे यथासंभव प्रकाशित कराया जाएगा।

14. वर्ष 2013-14 के लिए निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करना।—वर्ष 2013-14 के लिए निष्पादन किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का टेण्डर, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के आदेशानुसार, किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का निष्पादन, टेण्डर द्वारा फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि निष्पादन के दौरान ही पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो तो इसकी सूचना पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जायेगा। पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि, संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का, किसी भी कारण से नियत तिथि को टेण्डर द्वारा निष्पादन सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है तो, उसके टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे, जिसकी घोषणा टेण्डर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जा सकेगी।

15. पुनः निष्पादन।—

15.1 पुनः निष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2013-14 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के समय उस लायसेंस जिसका वह पुनः निष्पादन चाहता है, के टेण्डर द्वारा निराकरण की कार्यवाही में टेण्डर स्थल पर उपस्थित रहा हो तथा जो टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस के लिए टेण्डर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस के लिये, उसके द्वारा भी टेण्डर दिया गया हो।

15.2 टेण्डर द्वारा अन्तिम किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनः निष्पादन के लिये आवेदन, टेण्डर द्वारा निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनः निष्पादन आवेदन के साथ पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस जिसका वह पुनः निष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके, बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।

15.3 पुनः निष्पादन के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक टेण्डर की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का ऑफर देना चाहता हो। पुनः निष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर टेण्डर स्थल में पुनः निष्पादन की घोषणा करते हैं तो, कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।

15.4 पुनः निष्पादन होने की दशा में यदि टेण्डरदाता/आवेदनकर्ता पुनः निष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर नहीं देता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर जमा की गई राशि अथवा जमा अन्य कोई भी राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनः निष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित ऑफर से कम का ऑफर टेण्डर में अंकित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा ऑफर देने में असफल रहेगा तो, उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

15.5 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनः निष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।

15.6 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का पुनः निष्पदन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय जिस टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।

15.7 पुनः निष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।

16. उपरोक्त शर्त क्रमांक 13 एवं 15 के अधीन पुनः निष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि टेण्डर के दिन टेण्डर स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो ऐसे पुनःनिष्पादन की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार-पत्र में प्रकाशित करायी जायेगी और संबंधित जिला कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

17. खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना.—उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृत होने की पुष्टि तक टेण्डर में अंकित अपने ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस को पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने पर, जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह संबंधित उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जाएगी। उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समयोजन शर्त क्रमांक 9 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन / प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किया गया है तो, इस प्रकार समयोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/4 भाग), जमा प्रतिभूति (1/12 भाग) तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई, अन्य कोई राशि भी, खिसारे की वसूली के पेटे समयोजित की जाएगी।

18. लायसेंस की अवधि में टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना.—पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस की टेण्डर द्वारा निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2013-14 के लिए तथा वर्ष 2013-14 के दौरान होने वाले पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेगी।

19. लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण.—वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान, यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का हस्तान्तरण, किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के पक्ष में किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, इस हेतु संबंधित लायसेंस की वर्ष 2013-14 की वार्षिक लायसेंस फीस के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि, हस्तान्तरण फीस के रूप में प्रभारित की जाकर ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान किये जाने पर ही लायसेंस का हस्तान्तरण किया जायेगा। लायसेंस की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए, मूल लायसेंसी (अन्तरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को बीच में हस्तान्तरण किया जायेगा (अन्तरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

20. पी.-एस-2-क एवं अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस.—

20.1 वर्ष 2013-14 के लिए पी. एस.-2-क लायसेंस की लायसेंस फीस रूपये 10,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक् से देय होगी।

20.2 वर्ष 2013-14 के लिए पी. एस.-2 लायसेंस में प्रत्येक अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस रूपये 25,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक् से देय होगी।

21. पी.-एस-2 लायसेंसी द्वारा कृषकों से पॉपीस्ट्रा का क्रय:—

21.1 वर्ष 2013-14 में पॉपीस्ट्रा के थोक क्रय एवं विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंसी को कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा, कृषकों के कृषि क्षेत्र अथवा भण्डारण स्थल से न्यूनतम रूपये 100/- प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करना होगा। कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा के न्यूनतम क्रय मूल्य में, शासन द्वारा कभी भी किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा।

21.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में, अफीम के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर पॉपीस्ट्रा उत्पादन का आंकलन कर, कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्ट्रा की संपूर्ण मात्रा का 40 प्रतिशत माह अप्रैल, 2013 में, 30 प्रतिशत माह मई, 2013 एवं शेष 30 प्रतिशत माह जून, 2013 में, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी.एस.-2 लायसेंसी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। इस अनुपात से कम पॉपीस्ट्रा क्रय करने की स्थिति में, जिले के अन्य क्षेत्रों के पी.एस.-2 लायसेंसी को, पॉपीस्ट्रा क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। 01 जुलाई, 2013 के बाद 30 सितम्बर, 2013 तक जिले के पी.एस.-2 लायसेंसी, जिले के अंदर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा क्रय कर सकेंगे।

21.3 किसी अन्य कारण से लायसेंस रद्द होने की स्थिति में लायसेंसी को पॉपीस्ट्रा के बचे हुए समस्त स्टॉक की सूचना अविलम्ब अपने जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी। उसे जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में समस्त रिकार्ड अविलम्ब जमा करना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निराकरण जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार करना होगा। निराकरण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी उप-निरीक्षक एवं निवर्तमान लायसेंसी की संयुक्त अधिकारी में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निराकरण होने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान लायसेंसी को ही देना होगा।

21.4 वर्ष 2013-14 के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक क्रय एवं विक्रय के लिये स्वीकृत पी. एस.-2 लायसेंसों की अवधि समाप्त होने के दिनांक अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2014 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइक्रोफिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंसी को पॉपीस्ट्रा के बचे हुए समस्त स्टॉक की सूचना अविलम्ब अपने जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी। ऐसे बचे हुए स्टॉक का निराकरण (नष्टीकरण), लायसेंस की समाप्ति की अवधि के तत्काल बाद, जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार करना/करना होगा। निराकरण होने तक बचा हुआ स्टॉक आबकारी उप-निरीक्षक एवं निवर्तमान लायसेंसी की संयुक्त अधिकारी में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निराकरण होने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान लायसेंसी को ही देना होगा।

22. पॉपीस्ट्रा पर देय ड्यूटी व परिवहन फीस।—

22.1 वर्ष 2013-14 में पॉपीस्ट्रा पर निर्धारित ड्यूटी/फीस निम्नानुसार रहेगी :—

(1) ड्यूटी : —	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
पी.एस-2 से पी.एस-3 में परिवहन के समय	
(2) परिवहन फीस : —	रुपये 5/- प्रति किलोग्राम
पी.एस-2 उत्पादक जिले से अन्य किसी भी पी.एस-2 या पी.एस-3 लायसेंसी को परिवहन के समय.	
(3) निर्यात फीस : —	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
अन्तर्राज्यीय निर्यात हेतु	
(4) आयात फीस : —	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
अन्तर्राज्यीय आयात हेतु	

22.2 वर्ष 2013-14 में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी के अनुज्ञाप्त परिसर में, उसके संलग्न अतिरिक्त गोदाम/गोदामों से पॉपीस्ट्रा का परिवहन करने पर परिवहन किये जाने वाली मात्रा को विचार में लाये बिना, परिवहन फीस, रुपये 100/- प्रति परिवहन फीस, अग्रिम जमा करायी जायेगी।

22.3 वर्ष 2013-14 में किसानों से पॉपीस्ट्रा क्रय कर, परिवहन करने के लिये, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी द्वारा परिवहन किये जाने वाली, पॉपीस्ट्रा की मात्रा को विचार में लाये बिना प्रत्येक परिवहन पास (पी.एस.-5) के लिये, रुपये 100/- परिवहन फीस, अग्रिम जमा करायी जायेगी।

23. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर को अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी, टेण्डर द्वारा निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में विहित शर्तों के अध्यधीन उसके पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने के आदेश, टेण्डर द्वारा निष्पादन अंतिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। 07 दिवसों की गणना में निष्पादन का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

24. अफीम उत्पादक जिलों से भिन्न गैर अफीम उत्पादक जिलों के लिए पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के (पी. एस.-3) लायसेंसों की व्यवस्था.—मध्यप्रदेश राज्य के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम को छोड़कर शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस नहीं रहेंगे। वर्ष 2013-14 में केवल जिला देवास, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, बुरहानपुर, खरगौन, खण्डवा, धार, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़ एवं अनूपपुर, इन 18 जिलों में ही पी.एस.-7 धारक पंजीकृत व्यवसनियों को, नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया के अधीन पॉपीस्ट्रा फुटकर विक्रय करने के लिये, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायसेंस, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

25. अन्य व्यवस्थायें.—पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन एवं निश्चित वार्षिक लायसेंस फीस पर, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायसेंसों की स्वीकृति एवं ऐसे लायसेंसों के संचालन के संबंध में, जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख पृथक् से नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएं वर्ष 2002-13 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार पूर्ववत्/यथावत् लागू रहेंगी।

26. पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर का निष्पादन, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज अधिनियम, 1985 जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अंतर्गत एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा।

परिशिष्ट-एक

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंसों के निष्पादन हेतु टेण्डर प्रपत्रों के विक्रय, टेण्डर प्रपत्र जमा किये जाने व टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की जिलावार तिथि, समय व स्थान का विवरण

क्र.	नाम जिला	निष्पादन स्थल	टेण्डर प्रपत्र विक्रय की अवधि व समय	टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला नीमच	जिला आबकारी कार्यालय, नीमच.	दिनांक 15 फरवरी, 2013 से दिनांक 27 फरवरी, 2013 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 28 फरवरी, 2013 को दिन 13.00 बजे तक।	दिनांक 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न 14.00 बजे तक।	दिनांक 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।
2	जिला मन्दसौर	कलेक्टोरेट, मन्दसौर।	दिनांक 15 फरवरी, 2013 से दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 01 मार्च, 2013 को दिन 13.00 बजे तक।	दिनांक 01 मार्च, 2013 को अपराह्न 14.00 बजे तक।	दिनांक 01 मार्च, 2013 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।
3	जिला रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम।	दिनांक 15 फरवरी, 2013 से दिनांक 01 मार्च, 2013 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 02 मार्च, 2013 को दिन 13.00 बजे तक।	दिनांक 02 मार्च, 2013 को अपराह्न 14.00 बजे तक।	दिनांक 02 मार्च, 2013 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश।